न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 44/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम जाट निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 45/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. भैराराम पुत्र रामूराम जाट निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 46/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर जिला बीकानेर

– प्रार्थी

बनाम

1. रामूराम पुत्र ख्यालीराम निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

1. श्रीमती उमा मित्तल तहसीलदार (राजस्व)
2. श्री श्यामदीन पड़िहार अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 ता 3

–:निर्णयः–

दिनांकः–25.06.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार लूनकरनसर ने अपने पत्रांक 47 दिनांक 12.02.2019 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि भू.अ. निरीक्षक महाजन की रिपोर्ट अनुसार खातेदार ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम जाट निवासी रतनीसर ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रतनीसर के खसरा नम्बर 50 में खेजड़ी के छोटे बड़े 56 पेड़ व 13 खाली खड़े इस प्रकार कुल 69 खेजड़ी के पेड़ कटे पाये जाने पर मौका फर्द गिरदावर हल्का द्वारा तैयार कर कुर्की की कार्यवाही मौका पर वृक्ष सरकारी तहवील में लेकर पटवारी हल्का वालादेसर व वन रक्षक गुलावसिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 44/2019 सरकार बनाम ओमप्रकाश दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया।

इसी प्रकार प्रकरण संख्या 45/2019 में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार लूनकरनसर ने अपने पत्रांक 48 दिनांक 12.02.2019 द्वारा रिपोर्ट इस

(1) उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आशय की प्रस्तुत की कि भू.अ. निरीक्षक महाजन की रिपोर्ट अनुसार खातेदार भैराराम पुत्र रामूराम जाट निवासी रतनीसर ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रतनीसर के खसरा नम्बर 03 में खेजड़ी के 52 नग एक जगह इकटठे किये हुए व 20 पेड़ रोहिड़ा के कटे हुए (छांगण के रूप में) खाली खड़े इस प्रकार कुल 72 खेजड़ी के पेड़ कटे पाये जाने पर मौका फर्द गिरदावर हल्का द्वारा तैयार कर कुर्की की कार्यवाही मौका पर वृक्ष सरकारी तहवील में लेकर पटवारी हल्का बालादेसर व वन रक्षक गुलाबसिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 45/2019 सरकार बनाम भैराराम दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

राजस्व प्रकरण संख्या 46/2019 में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार लूनकरनसर ने अपने पत्रांक 46 दिनांक 12.02.2019 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि भू.अ. निरीक्षक महाजन की रिपोर्ट अनुसार खातेदार रामूराम पुत्र ख्यालीराम जाट निवासी रतनीसर ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम रतनीसर के खसरा नम्बर 180 में खेजड़ी के बड़े 31 छोटे 87 इस प्रकार कुल 118 खेजड़ी के पेड़ कटे पाये जाने पर मौका फर्द गिरदावर हल्का द्वारा तैयार कर कुर्की की कार्यवाही मौका पर वृक्ष सरकारी तहवील में लेकर पटवारी हल्का बालादेसर व वन रक्षक गुलाबसिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 45/2019 सरकार बनाम रामूराम दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तीनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थीगणें की ओर से श्री श्यामदीन पड़िहार अधिवक्ता ने जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस निर्धारित प्रपत्र पर नहीं दिया गया है। यह कि धारा 84(5) में कार्यवाही के लिए न्यायालय हाजा सक्षम व अधिकृत है परंतु रकबा सीलिंग सीमा से अधिक हो अन्यथा पेड़ काटे जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वकील अप्रार्थी ने निरीक्षण के समय पेड़ों को जब्त करने व पटवारी व वन विभाग को सुपुर्द करने की कार्यवाही बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये गये की गई है। अतः कार्यवाही निष्प्रभावी शून्य व विधिविरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84(2) में अप्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में से पेड़ हटाये जाने का अधिकार है। धारा 84(5) में ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारी को ही अनुज्ञा के लिए आवेदन आवश्यक है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी निवेदन किया कि अव्वल तो अप्रार्थी ने पेड़ काटे हीं नहीं आंधी तुफान से पेड़ गिर गये थे जिन्हे हटाना आवश्यक था तथा अधिक उपज के लिए पेड़ हटाना आवश्यक था। इसी प्रकार अन्य दो प्रकरणों में भी वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ पेड़ काटे जाने बाबत प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही को विधिविरूद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए कार्यवाही निरस्त करने एवं जब्तशुदा पेड़ वापिस उन्हे सुपुर्द किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84(2) के तहत अनुज्ञा पत्र जारी करने एवं 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र अपने जवाब नोटिस के समर्थन में पेश किया।

चूंकि तीनों प्रकरण एक ही प्रकृति एवं एक ही विषयवस्तु से संबंधित होने के कारण तीनों प्रकरणों का निस्तारण कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। उक्त तीनों प्रकरणों में बहस सूनी गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री श्यामदीन ने अपनी बहस में जवाब नोटिस के कथनों को दोहराते हुए पुनः कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के खेजड़ी के पेड़ एवं रोहिड़ा के पेड़ों को नहीं काटा गया है। आंधी व तुफान की वजह से पेड़ गिर गये थे जिनकों हटाया गया था। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का विधिविरूद्ध कार्य नहीं किया गया है। फिर भी सरकार नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी कर उचित फीस जमा करवाकर जब्त शुदा पेड़ अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के जवाब के प्रत्युत्तर में सरकार की ओर से तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर का कथन है कि अप्रार्थीगणों ने जानबूझकर कर बिना सक्षम स्वीकृति के पेड़ काटकर के विधिविरूद्ध कार्य किया है इसलिए काटे गये पेड़ों को कुर्क कर सरकारी तहवील मे लिया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी

Scanned by CamScanner

अधिनियम की धारा 86 के तहत प्रति पेड़ सौ रूपये की दर से जुर्माना एवं जब्त शुदा पेड़ों को जरिये निलामी निस्तारण के आदेश फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष को सुनां एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार एवं गिरदावर हल्का का अवलोकन किया। हम तहसीलदार लूनकरनसर की रिपोर्ट से पूर्णतया संतुष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा पेड़ों को बिना पूर्व अनुमति के काटा गया है। अतः अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम जाट निवासी रतनीसर से कुल काटे गये 69 पेड़ों के बतौर जुर्माना 100 रूपये प्रति पेड़ की दर से 6900/– रूपये वसूल कर खाजाना राज मे जमा कराने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा जब्तशुदा पेड़ों को निलाम कर प्राप्त राशि खजाना राज में जमा करवाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अप्रार्थी भैराराम पुत्र रामूराम जाट निवासी रतनीसर द्वारा कुल काटे गये 72 पेड़ों के बतौर जुर्माना 100 रूपये प्रति पेड़ की दर से 7200/– रूपये वसूल कर ख़ाजाना राज मे जमा कराने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा जब्तशुदा पेड़ों को निलाम कर प्राप्त राशि खजाना राज में जमा करवाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अप्रार्थी रामूराम पुत्र ख्यालीराम जाट निवासी रतनीसर द्वारा कुल काटे गये 31 बड़े व 87 छोटे पेड़ कुल 118 पेड़ों के बतौर जुर्माना 31 गुणा 100 व. 87 गुणा 50 रूपयों की दर से कुल 7450/– रूपये वसूल कर खाजाना राज मे जमा कराने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा जब्तशुदा पेड़ों को निलाम कर प्राप्त राशि खजाना राज में जमा करवाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे एवं एक–एक प्रति उक्त तीनों प्रकरणों में शामिल की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner